महत्वपूर्ण एवं खास

अगले 24 घंटे में प्रदेश के एक दो स्थानो पर भारी वर्षा की संभावना

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में मौसम की आबो हवा बदलते ही मंगलवार को राजधानी में शाम 4.00 बजे जमकर बादल बरसे रातभर पानी गिरता रहा। सुबह मौसम खुलते ही उमसभरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा। ज्ञातव्य है कि मॉनसून द्रोणिका अमृतसर, करनाल, अलीगढ़, सुल्तानपुर, जमशेदपुर, चांदबली के बाद पूर्व-दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक 0.9 किमी ऊंचाई तक स्थित है। एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास 3.1 किमी से 7.6 किमी के बीच ऊंचाई तक स्थित है। इसके प्रभाव से, अगले 48 घंटों में उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी औरआसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के उपर 3.1 किमी ऊंचाई तक स्थित है। कल दिनांक 22 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अप्पा अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में अब तक हुई बारिश के अनुसार रायपुर में 62. एमएम, अम्बिकापुर 12 एमएम, पेण्ड्रारोड 14 एमएम एवं जगदलपुर 16 एमएम वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।

727 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

कोंडागांव (आरएनएस)। जिले की पुलिस ने मुखबीर की सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक यूपी 57 टी 3251 में अवैध रूप से गांजा छुपाकर विशाखापटनम से रायपुर की ओर ले जाते हुए एनएच 30 ग्राम चिखलपुटी पीआरए कंपनी के सामने से 18 बोरी में कुल 727.165 किलोग्राम गांजा बरामद कर गांजा तस्कर बनुनन्द यादव पिता असरफी यादव उम्र 36 वर्ष निवासी बॉसगांव कामिल टोला कुशीनगर थाना बिसनपुरा जिला कुशीनगर उत्तरपदेश को गिरफ्तार किया गया है। गिरफतार गांजा तस्कर बनुनन्द यादव ने बताया कि एशियन पेन्ट के डब्बो के बीच छुपाकर गांजा तस्करी कर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। आरोपी गांजा तस्कर के कब्जे से ट्रक से बरामद कुल 727.165 गांजा जैसा अवैध मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार मूल्य 10907475 रूपये (एक करोड नौ लाख सात हजार चार सौ पचहत्तर रूपये) आंकी गई है। आरोपी से पास से जप्त नगद 2000 रूपये एवं एक नग पुराना इस्तेमाली की पैड बाला मोबाईल कीमत जप्त कर गांजा तस्कर के विरूद्ध धारा 20 (ख) (ग) नारकोटिक्स एक्ट के तहत आरोपी गांजा तस्कर को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी

कोरबा (आरएनएस)। उमरेली गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सुबह घटना की जानकारी परिजनों को मिली। सूचना देने पर उरगा पुलिस यहां पहुंची। इस मामले को लेकर प्राथमिक जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार 33 वर्षीय कोमल देवांगन पिता लच्छी देवांगन की मौत बीती रात्रि हो गई। उसका शव फंदे पर लटका देखा गया। आज सुबह परिजनों को इसकी खबर हुई। मृतक ने अपने कमरे में एक एंग्ल के सहारे इस घटना को अंजाम दिया। उसे मृत स्थिति में देख परिजन सख्ते में आ गए।

सोना चांदी चमकाने के बहाने सूने मकानों पर रहती थी शातिर चोर की नजर

» तीन घरों से चोरी किया था नकदी, चोरी के तीन मामलों का खुलासा

» आरोपी से नगदी बरामद, भेजा गया रिमांड पर खरसिया पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। ग्राम खोरसीपाली के रिटायर्ड टीचर के घर हुई चोरी के आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही खरसिया पुलिस के हाथ एक शातिर चोर आया है जो क्षेत्र में घूम-घूम कर लोगों के घर जाकर उन्हें सोना-चांदी, पीतल ताम्बे के बर्तन चमकाने वाला पाउडर बेचने के लिए दिखाता था पर असल में उसका काम उस घर के सदस्यों की संख्या जानना और घर के सुनेपन की जानकारी लेना होता था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मौका देखकर आरोपी मकान से कीमती सामान, रुपयों की चोरी कर फरार हो जाता था।

मिली जानकारी के अनुसार आज दिनांक 21/07/2021 को खरसिया के मदनपुर चौक पर इस संदिग्ध को सोना चांदी चमकाने वाला पाउडर बेचने के लिए घूम रहे संदिग्ध को देखकर खरसिया के एक जागरूक व्यक्ति द्वारा थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू को सूचना दिया गया। थाना प्रभारी के निर्देशन पर थाना खरसिया से प्रधान आरक्षक मनोज पटेल, आरक्षक प्रदीप तिवारी मदनपुर चौंक जाकर संदिग्ध युवक को लेकर थाने लाए। संदिग्ध से पूछताछ करने पर अपना नाम तरूण कुमार साव पिता दिनेश साव उम्र 24 साल, तुर्रीभाठा चौकी खरसिया का रहने वाला बताया। पहले तो खरसिया स्टाफ उससे खोरसीपाली नकबजनी के मामले में कड़ी पूछताछ किए जिसे करने से तरूण साव इंकार किया तथा उसने खरसिया थाना क्षेत्र में बोतल्दा एनएच रोड के मेडिकल स्टोर, खरसिया न्यू बस स्टैंड के पास सूने मकान एवं गौशाला रोड़ मदनपुर के पास के घर में नकदी की चोरी करना बताया। तीनों चोरी के मामले में थाना खरसिया में क्रमशः अप.क्र. 244, 254/21 धारा 457,380 एवं 395/2021 धारा 380 आईपीसी दर्ज है। आरोपी द्वारा बोतल्दा एनएच रोड़ में महेश मेडिकल स्टोर्स से 7,000 रूपये नगदी एवं सीसीटीव्ही कैमरा एवं वाईफाई की चोरी, न्यु बस स्टैण्ड खरसिया के पास सुरेश कुमार अग्रवाल के सुने मकान से नगदी रकम करीब 30 हजार रूपये की चोरी तथा गौशाला रोड मदनपुर में 5,000 रूपये की चोरी करना कबूल किया है। चोरी/नकबजनी में प्राप्त हुये रकम खर्च के बाद बचे 9,000 रूपयों को थाना खरसिया व चौकी खरसिया (अप.क्र. 395/2021 धारा 380 आईपीसी) में बाजाफ्ता सुमार किया गया है। आरोपी तरूण साव बताया कि काफी सालों से तुरीभांठा में रहता है। इसके वारिसानों दरभंगा बिहार तथा कुछ रिस्तेदार ठाकुरदिया, खरसिया में रहते हैं। ये ज्यादातर बाहर रहता है, इसी दौरान रूपये खाने-पीने में खर्च हो गये हैं। आरोपी को तीनों मामलों में आरोपी को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी से मशरूका बरामदगी में थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम, सहायक उपनिरीक्षक लखन लाल यादव, प्रधान आरक्षक मनोज पटेल, अशोक देवांगन, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी की सराहनीय भूमिका रही है।

संविदा कर्मचारी की मृत्यु पर पुत्र को प्रदान किया गया एक लाख रुपये का चेक

रायगढ़ । खरसिया के बीआरसी कार्यालय में भृत्य के पद पर पदस्थ रहे संविदा कर्मचारी स्व.श्री एतवा राम की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पुत्र बिफनाथ को सहायता राशि के रूप में एक लाख रुपये का चेक विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, महापौर श्रीमती जानकी काटजू व कलेक्टर भीम सिंह ने प्रदान किया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य, डीएमसी देवांगन उपस्थित रहे।

डेढ किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। सारंगढ़ पुलिस द्वारा अवैध गांजा बिक्री की कायत पर कार्रवाई करते हुये ग्राम कपिस्दा (ब) के परमानंद सिदार को डेढ़ किलो गांजा के साथ पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर जिले के सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत अवैध गांजा पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा मुखबिर लगाकर क्षेत्र में अवैध गांजा बिक्री की सूचनाएं ली जा रही थी कि दिनांक 20/07/2021 को उनके मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि ग्राम कपिस्दा (ब) का परमानंद सिदार अवैध गांजा बिक्री करता है, आज भी गांजा लेकर बिक्री करने गोडम की ओर गया है। थाना प्रभारी द्वारा सूचना पर कार्रवाई करने थाने से सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मणपुरी गोस्वामी, प्रधान आरक्षक अर्जुन पटेल, आरक्षक विरेन्द्र ठाकुर को किये। पुलिस टीम परमानंद सिदार के घर के सामाने शहीद चौक के पास उसके आने का इंतजार किये, कुछ समय बाद परमांनद अपने हाथ में थैले लिए घर कि ओर पैदल आ रहा था, जिसे रोककर कार्यवाही से अवगत करते हुये उसकी तलाशी लिये जिसके पास से 1 किलो 550 ग्राम गांजा कीमती 7,000 रुपए का बरामद हुआ। आरोपी ओडिसा से गांजा लाकर अवैध तरीके से आसपास के क्षेत्र में बेचना स्वीकार किया है। आरोपी पर परमानंद सिदार पिता गोविंद राम सिदार उम्र 45 वर्ष साश्र कपिस्दा (ब) थाना सारंगढ पर थाना सारंगढ़ में 20(बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

फोटो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को किया ब्लैकमेलिंग

» सरिया पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म व पास्को एक्ट की धाराओं में किया गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 19/07/2021 को थाना सरिया में नाबालिग बालिका द्वारा ग्राम बरमपुरा के शनि चौहान द्वारा प्रेमजाल में फंसाकर मोबाईल पर लिये गये फोटो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, मामले में सरिया थाना प्रभारी आरोपी को दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पीड़िता बताई कि पिछले तीन साल से दोनों की जान पहचान है, दोनों एक दूसरे को पसन्द करते थे। शनि चौहान बिना जानकारी के अपनी मोबाइल पर कुछ फोटो खींच लिया और उसी के सहारे ब्लैकमेल कर अपने घर बुलाता था। दिनांक 15-16/07/21 के रात करीब 11/00-12/30 बजे शनि घर के पास आकर बाहर आओ तुम्हारा फोटो को तुम्हारे सामने डीलिट कर दूंगा बोल कर बुलाया और अपने साथ अपने पुराने घर में ले गया , जहां दुष्कर्म किया और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। पीडिता अपनी मां को घटना बताई और थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट महिला विवेचक द्वारा आरोपी शनि चौहान पिता मेन्हा चौहान उम्र 19 साल निवासी ग्राम बरमपुरा थाना सरिया के विरूद्ध दर्ज की गई है। अपराध कायमी पश्चात थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक डी.के. मार्कण्डेय द्वारा आरोपी को फरार होने के पूर्व गिरफ्तार कर उस पर दर्ज अप.क्र. 150/2021 धारा 376,506 भादवि 4, 6 पास्को एक्ट में आज रिमांड पर भेजा गया। माननीय न्यायालय द्वारा 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा में रखने आरोपी का जेल वारंट जारी किया गया जिस पर आरोपी को जेल दाखिल कराया गया है।

चोरी की बाइक लेकर ग्राहक तलाश रहा अपचारी बालक व खरीददार गिरफ्तार

» दोनों से चोरी की तीन बाइक बरामद

रायगढ़। थाना खरसिया क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 19-20/07/2021 की दरमियानी रात ग्राम खोरसीपाली में रिटायर्ड टीचर के घर घटित नकबजनी मामले के आरोपियों की पतासाजी दौरान खरसिया पुलिस के हाथ बाइक चोर व एक खरीददार हाथ आया है। दोनों से चोरी की तीन मोटर सायकलें बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा द्वारा रिटायर्ड टीचर के घर घटित नकबजनी की घटना को लेकर थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू को क्षेत्र में अज्ञात आरोपी की सघन पतासाजी, संदिग्धों से पूछताछ कर शीघ्र माल मुलजिम पतासाजी का निर्देश दिया गया है। निर्देशों पर थाना प्रभारी, स्टाफ के साथ संदिग्धों से सघन पूछताछ किया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा मुखबीरों को संदिग्धों की सूचना देने कहा गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 21/07/2021 के दोपहर थाना प्रभारी खरसिया को मुखबिर द्वारा रायगढ़ चौक के पास एक लड़का चोरी की बाइक लेकर ग्राहक तलाश करने की सूचना दिया। थाना प्रभारी के निर्देश पर थाने से प्रधान आरक्षक लक्ष्मी राठौर, राजेश राठौर, जितेन्द्र राठौर खरसिया चौंक पर संदेही बालक को एक बाईक के साथ पकड़े, जिससे बाइक के संबंध में पूछताछ करने पर बाइक चोरी की होना बताया तथा एक चोरी की बाइक घर में छिपाकर रखना और एक बाइक बसनाझर के घनश्याम साहू के पास बिक्री करना बताया। जिस पर खरसिया पुलिस आरोपी घनश्याम साहू के घर दबिश देकर एक बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इस प्रकार विधि उलंघनकारी बालक एवं आरोपी घनश्याम साहू पिता तेजराम साहू उम्र 26 वर्ष निवासी बसनाझर थाना खरसिया के कब्जे से कुल तीन बाइक- एक होंडा शाइन सीजी 13 एसए 0450, एक हीरो होंडा सीडी डीलक्स सीजी 12 एसी 4118 एवं एक बजाज डिस्कवर सीजी 13 यूए 1624 जुमला कीमती 80,000 रुपए का बरामद किया गया है। विधि उल्लंघनकारी बालक तथा आरोपी युवक पर इस्तगासा क्रमांक 03/21 धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379,411 आईपीसी की कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।

अवैध कबाड़ लोड माजदा वाहन के साथ आरोपी गिरफ्तार

» वाहन से 10 टन कबाड़ की जब्ती, घरघोड़ा पुलिस की कार्रवाई

रायगढ़। थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस द्वारा आज दिनांक 21/07/2021 को मुखबीर सूचना पर जय स्तंभ चौक के पास नाकेबंदी कर लैलूंगा की ओर से आ रही मालदा वाहन क्रमांक सीजी 04 एम.के./2669 को पकड़ा गया। वाहन को चेक करने पर वाहन में टीना, लोहा, सायकल फ्रेम, मशनरी पाट्र्स, मोटरसाइकिल फ्रेम, लोहे के टुकड़े लोड था , जिसका वजन करीब 10 टन कीमती करीब 3 लाख रूपये है। वाहन का चालक चांदूल बाग निवासी पालीडीह पत्थलगांव का होना बताया तथा कबाड़ को पूंजीपथरा की फैक्ट्री में बिक्री करने ले जाना बताया गया है। आरोपी वाहन चालक के पास कबाड़ के संबंध में कोई कागजात नहीं थे, वाहन में लोड़ कबाड़ चोरी की संपत्ति होने के संदेह पर आरोपी चांदूल बाग पिता दीनदयाल चौहान उम्र 24 वर्ष निवासी पालीडीह थाना पत्थलगांव जिला जशपुर पर धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। घरघोड़ा पुलिस द्वारा संपत्ति मालिक की तलाश की जा रही है।

बुलेट पर महुआ शराब बेचने निकला युवक गिरफ्तार, 12 लीटर शराब व बाइक जब्त

रायगढ़। थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक एल.पी. पटेल के नेतृत्व में लैलूंगा पुलिस लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में दिनांक 20/7/2021 को लैलूंगा पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी नरसिंग यादव पिता गाडाराम यादव उम्र 32 वर्ष साकिन लमडांड थाना लैलूंगा को बिना नम्बर बुलेट पर अवैध महुआ का शराब बिक्री करने हेतु परिवहन करते हुये कहरचुंआ मार्ग में पकड़े। ग्राम भ्रमण के दौरान थाने के उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे को ग्राम लमडांड में मुखबीर से सूचना मिली थी कि नरसिंग यादव अपने सफेद रंग के बुलेट मोटर सायकल में अवैध शराब परिवहन कर रहा है। आरोपी से दो थैला में प्लास्टिक जरिकेन प्लास्टिक बोतल में कुल 12 लीटर महुआ शराब कीमती 1,200 रुपए एवं बुलेट जप्त किया गया है। आरोपी पर धारा 34 (2),59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सीजेएम न्यायालय रायगढ़ आरोपी को रिमांड पर पेश किया जा रहा है। कार्रवाई में उप निरीक्षक जी.पी. बंजारे, उनि बीएस पैंकरा तथा आरक्षक प्रमोद भगत शामिल थे।

बाइक में 12 किलो गांजा की तस्करी करता एक गिरफ्तार

गरियाबंद (आरएनएस)। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना पुलिस ने मोटरसायकल में गांजा की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 12 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 60 हजार रूपये आंकी गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुखबीर से सूचना पर पुलिस ने फुलझर घाटी के पास नाका बंदी कर मोटरसायकल क्रमांक सीजी 05 आर 2446 को रोका जिसका चालक भोजलाल डोगरे पिता कामेश्वर 27 वर्ष निवासी कोलिहापदर थाना रायघर जिला नबरंगपुर उड़िसा का था। उसके पास प्लास्टिक थैला भी था जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से प्लास्टिक टेप से लपेटे हुये दो अलग- अलग पैकेट से लिपटा हुआ गांजा बरामद किया गया।

मोबाईल एवं कम्प्यूटर दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

» ट्रक चालक और उसका साथी दिये थे चोरी की घटना को अंजाम

» सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई आरोपियो की शिनाख्ती

» चोरी के 11 नग मोबाईल सहित 03 आरोपियों को भिलाई जिला दुर्ग एवं सहसपुर लोहारा जिला कवर्धा से किया गया गिरफ्तार

» 11 दिन पहले ही सेन्ट्रल जेल दुर्ग से जमानत पर रिहा हुआ है आरोपी

दुर्ग (आरएनएस)। जिले के थाना देवरी क्षेत्र के ग्राम देवरी बंगला के वर्धमान मोबाईल एवं कम्प्यूटर दुकान में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया। चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी 11 दिन पहले ही दुर्ग जेल से जमानत पर रिहा हुआ है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18-19 जुलाई की दरम्यानी रात थाना देवरी क्षेत्र के ग्राम देवरी बंगला के वर्धमान मोबाईल एवं कम्प्यूटर दुकान में अज्ञात चोर द्वारा दुकान का शटर तोड़कर उसमें रखे 21 नग मोबाईल हैण्डसेट और नगदी साढ़े चार हजार रूपये चोरी कर ले गये थे। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी अभिषेक जैन ने देवरी थाना देवरी में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद दिनेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में निरीक्षक नवीन बोरकर थाना प्रभारी देवरीए निरीक्षक मनीष शर्माए निरीक्षक भानुप्रताप साव के साथ एक विषेष टीम तैयार किया गया। टीम के द्वारा सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी की मदद से आरोपियो के संबध में पुख्ता जानकारी होने पर टीम भिलाई जिला दुर्ग रवाना हुई, जहां प्रकरण के आरोपी गुरूपाल सिंह उर्फ मौत पिता सुखदेव सिंह 30 साल निवासी अर्जुन नगर केम्प1 भिलाई को कोहका भिलाई से, जहर उर्फ सचिन उर्फ राहुल पिता शिवकुमार 21 साल निवासी अर्जुन नगर संग्राम चौक केम्प 1 भिलाई एवं चन्दु उर्फ चन्दन सिंह पिता जसविंदर सिंह 28 साल निवासी अर्जुन नगर केम्प1 भिलाई जिला दुर्ग को ग्राम लाखाटोला सहसपुर लोहारा जिला कवर्धा से गिरफ्तार कर आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आरोपियो के कब्जे से 11 नग मोबाईल हैण्डसेट बरामद किया गया। आरोपियों में जहर उर्फ सचिन उर्फ राहुल 11 दिन पूर्व ही चोरी के प्रकरण में दुर्ग जेल से जमानत पर रिहा हुए थे एवं चन्दु उर्फ चन्दन सिंह पूर्व में डकैती के आरोप में दुर्ग जेल जा चुका है अभी जमानत पर था।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480